

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 10/2014/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन राजस्थान, वार्ड-II, वृत्त-II, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स कृष्णा पेट्रोकेम, 5030 रोशन आरा रोड़ दिल्ली.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अनिल पोखरणा, उप-राजकीय अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से.


श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21/08/2018

निर्णय


1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील, अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 200/अपील्स-I/आरवीएटी/एनआरडी/जयपुर/2012-13 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 24.7.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, घट-द्वितीय, वृत्त-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये आदेश दिनांक 26.07.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।
2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।
3. प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा बगरु जिला जयपुर के आद्योगिक क्षेत्र में दिनांक 09.07.2012 को खड़े वाहन की जांच में पाया गया कि उसमें Residuary Furnace Oil भरा हुआ है, जो दिनांक 04.07.2012 को भरा गया था परन्तु उसका कोई बिल जारी नहीं हुआ था। यह पाया गया कि माल का वजन करवाया गया था एवं कांटा पर्ची दिनांक 04.07.2012 की बनी हुई थी। कांटा पर्ची के अलावा कोई दस्तावेज नहीं होने से अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए, कर निर्धारण अधिकारी ने क्रेता फर्म पर कर एवं शास्ति रूपये 1,60,335/- का आरोपण दिनांक 26.07.2012 को किया गया।
4. कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर स्वीकार की गई है कि दिल्ली की क्रेता फर्म (प्रत्यर्थी) द्वारा बगरु की फर्म को तीन टैंकर (16500 KG प्रत्येक) का क्रय

 लगातार.....2

आदेश दिया हुआ था। दिनांक 04.07.2012 को टैंकर में जो माल भरा गया था उसका वजन करने पर 15270 किलो का ही वजन होने से और पूरा माल अर्थात् 16500 किलो भरने हेतु आगामी दिन 05.07.2012 का इंतजार किया जा रहा था जिससे उस टैंकर में अवशेष 830 किलो माल भरा जा सके। ये तथ्य व्यवहारी द्वारा बता दिये गये थे परन्तु विक्रेता फर्म बालाजी ग्रीन एनर्जी, बगरू से जांच अधिकारी ने इन तथ्यों की कोई जांच नहीं की। अपीलीय अधिकारी ने माना कि अपीलार्थी के जवाब को असत्य प्रमाणित नहीं किया एवं यह भी उल्लेख किया है कि यदि कर चोरी से माल ले जाया जाना था तो वह 04.07.2012 से 05.07.2012 तक बगरू में ही बिना बिल प्राप्त किए खड़ा नहीं रहता। अपीलीय अधिकारी ने यह भी टिप्पणी की है कि माल टैंकर में पूरा भरा ही नहीं गया था एवं बगरू से टैंकर रवाना नहीं हुआ था अतः गमनागमन प्रारंभ नहीं होने से अधिनियम की धारा 76 प्रभावी नहीं हो सकती। यह भी उल्लेख किया है कि बगरू की विक्रेता फर्म से कोई पूछताछ भी नहीं की गई। एक धर्मकांटा पर्ची का जांच अधिकारी ने कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं किया, इस तरह अपीलीय अधिकारी ने यह अवधारित किया है कि पूरा माल ट्रक में भरना अवशेष था ऐसी स्थिति में बिल जारी नहीं किया जा सकता तथा प्रश्नगत माल का गमनागमन भी प्रारम्भ नहीं हुआ था। इस तरह केवल संदेह के आधार पर आरोपित शास्ति को विधिविरुद्ध माना गया है।


5. अपीलीय अधिकारी के निर्णय में दिए गये उक्त तथ्यात्मक निष्कर्षों का परीक्षण किया गया उप-राजकीय अभिभाषक एवं अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा दिए गए समस्त तर्कों पर विचार किया गया। व्यवहारिक रूप से यह सही है कि किसी भी औद्योगिक इकाई से माल को टैंकर में भरने के बाद तुलाई करवाने के बाद ही बिल जारी किये जाते हैं, जिससे वजन का वास्तविक आंकलन होता है। इस प्रकरण में माल टैंकर में भरने के बाद उसका वजन करवाने का प्रमाण उपलब्ध था एवं ड्राइवर द्वारा यह बयान दिया गया था कि माल बालाजी ग्रीन बगरू नामक फर्म से भरा गया है तब जांच अधिकारी को तुरन्त उस फर्म की जांच कर उन तथ्यों को सत्यापित करना आवश्यक था, परन्तु उसकी कोई जांच नहीं की गई। यह टिप्पणी करना उचित होगा कि जब विक्रेता उसी स्थान पर उपलब्ध था तो उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई, जबकि यदि पूछताछ की जाती तो या तो यह बिना बिल माल बेचने का दोषी पाया जाता या वाहन चालक के बयानों का खण्डन होता। व्यवहारी का यह जवाब भी विचारणीय एवं युक्तियुक्त है कि यदि माल बिना बिल प्राप्त किए ही ले जाया जाने का मानस होता तो वह पूरे एक दिन उसी कस्बे में इंतजार नहीं

लगातार.....3



करता। इस तरह जांच अधिकारी ने वाहन की जांच के बाद प्रस्तुत कांटापर्ची एवं उक्त बयान में दिये गये तथ्यों का परीक्षण एवं सत्यापन किए बिना ही शास्ति आरोपित की है। प्रकरण में विक्रेता को दिया गया क्रय आदेश एवं माल विक्रय होना प्रमाणित था परन्तु उक्त पूरे प्रकरण में केवल क्रेता को नोटिस दिया गया। जबकि यदि यह माल बिना बिल जारी किये विक्रय किया गया था तो दिनांक 04.07.2012 को विक्रेता द्वारा बिना बिल जारी किए माल माल बेचने का पुख्ता अभियोग स्थापित हो सकता था, परन्तु बिना किसी जांच एवं सत्यापन के गमनागमन प्रारम्भ होने से पूर्व ही एवं विक्रेता से पूछताछ किये बिना दिल्ली की क्रेता फर्म के विरुद्ध शास्ति एवं कर आरोपित किया गया, जो पूर्णतया अनुचित एवं अविधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि वाहन चालक द्वारा दिये गये बयान एवं वास्तविक तथ्यों का जानबूझकर सत्यापन नहीं किया गया एवं विक्रेता को जांच से अलग रखा गया जबकि यदि बिना बिल माल विक्रय करने का सत्यापन होता तो विक्रेता पर कर दायित्व छुपाने का कृत्य प्रमाणित रूप से पुष्ट होता, परन्तु परिवहन आरम्भ हुए बिना ही सम्पूर्ण दायित्व क्रेता पर थोपने का अविधिक प्रयास किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा पूर्ण परीक्षण करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है, अतः उसमें कोई त्रुटि नहीं होने से राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य